प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 342/2004

चंदू उर्फ चंद्रकुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश दिनांक : 13-12-2012

के लिए सूचीबद्ध

हस्ताक्षरित /—

(आर.एस. शर्मा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 342/2004

अपीलार्थी :- चंदू उर्फ चंद्रकुमार, पिता बिसौहा जोशी, आयु लगभग 22 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी ग्राम मोहभट्ठा, थाना रांछीराई, जिला दुर्ग, वर्तमान में निवासी कृष्णा नगर, गणेश चौक, सुपेला, थाना सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी :- छत्तीसगढ़ राज्य

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

उपस्थिति :

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पंकज अग्रवाल – अपीलार्थी की ओर से

श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता – राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

(दिनांक 11 दिसंबर, 2012 को प्रदत्त)

1. यह अपील दिनांक 20-03-2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र वाद क्रमांक 221/2003 में दिया गया था। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी चंदू उर्फ चंद्रकुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹500/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में उसे 1 माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) 'आशा बैंड पार्टी' नाम से बैंड पार्टी का व्यवसाय चलाता था। अपीलार्थी चंदू उर्फ चंद्रकुमार उसकी बैंड पार्टी में कार्यरत था। दिनांक 15-05-2003 को लगभग शाम 7:15 बजे, अपीलार्थी अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) के घर आया, उसे गालियाँ देने लगा और टंगिया से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) को बाईं पार्श्विका (कनपटी) पर चोट लगी। अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) ने सहायता के लिए शोर मचाया। उसकी आवाज सुनकर दिनेश बैन (अ.सा.-2), जो कि घायल का साला है, वहाँ पहुँचा। तब तक अपीलार्थी वहाँ से भाग गया। अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) ने थाना सुपेला में प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श.पी. -1) दर्ज कराई। उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया (प्रदर्श.पी. -4)। डॉ. जे.पी. मेश्राम (अ.सा.-3) ने घायल का परीक्षण किया और अपनी प्रतिवेदन(प्रदर्श.पी. -4A) में बाईं पार्श्विका क्षेत्र में 4×2 सेमी का हड्डी तक गहरा फटाहुआ घाव पाया तथा एक्स-रे कराने की सलाह दी। इसके बाद घायल को आगे

उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, सेक्टर-9, भिलाई भेजा गया। वहाँ डॉ. जी.डी. अग्रवाल (अ.सा.-8) ने परीक्षण किया और सीटी स्कैन के पश्चात बाईं टेम्पोरल हड्डी में अस्थिभंग पाया। उन्होंने अभिमत दिया कि चोट गंभीर प्रकृति की है तथा जीवन के लिए घातक है।

आगे की जांच में पटवारी सत्यानारायण कौशिक (अ.सा.-4) ने स्थल नक्शा (प्रदर्श.पी. -2) तैयार किया। अन्वेषण अधिकारी ने भी स्थल नक्शा (प्रदर्श.पी. -3) बनाया। अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत (प्रदर्श.पी. -6) दर्ज किया गया तथा उसके बताने पर टंगिया (प्रदर्श.पी. -7) के माध्यम से जब्त की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जांच पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिन्होंने बाद में प्रकरण को सत्र न्यायालय, दुर्ग को आर्पित किया। वहाँ से यह मामला अंतरण पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण (ट्रायल) संपन्न कर अपीलार्थी को उपर्युक्त अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

3. श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया कि अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) का साक्ष्य विरोधाभासों से भरा हुआ है। दिनेश बैन (अ.सा.-2), जो कि घायल का साला है, घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा वह अत्यधिक हितबद्ध साक्षी है। अतः विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिशा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दी

गई दोषसिद्धि एवं दंड में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है और तथा सत्र वाद क्रमांक 221/2003 के अभिलेख का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। अपीलार्थीकी दोषसिद्धि घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) एवं दिनेश बैन (अ.सा.-2) के साक्ष्य पर आधारित है।

6. यह विवादित नहीं है कि दिनेश बैन (अ.सा.-2) घायल का साला है और इस प्रकार वह नातेदार एवं हितबद्ध साक्षी है।

7. नातेदार, हितबद्ध एवं घायल साक्षीगण :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दयाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य, AIR 2012 SC 3046 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि :

> "10. इस न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि किसी प्रत्यक्षदर्शी के कथन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह मृतक का नातेदार या मित्र है। 'हितबद्ध साक्षी' की अवधारणा में मूलतः अनुचितता एवं आरोपी को झूठा फँसाने के उद्देश्य का तत्व निहित होना चाहिए। केवल तभी, जब ये तत्व विद्यमान हों और साक्षी का कथन अविश्वसनीय प्रतीत हो, न्यायालय ऐसे कथनों को त्यागने की संभावना पर विचार करेगा। किंतु जहाँ प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाती है तथा उनके कथन घटना से संबंधित वास्तविक तथ्यों का सत्य प्रतिपादन करते हों, वहाँ ऐसे नातेदार या मित्र साक्षियों के कथनों को अस्वीकार करना न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा।
>
> "12. ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते और वे सदैव न्यायालय के समक्ष असत्य ही कहेंगे। यह प्रत्येक

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। *जयाबालन बनाम संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी* (2010) 1 SCC 199 : (AIR 2010 SC (Supp) 352 : 2010 AIR SCW 419) में इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला कि क्या हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि ऐसे साक्ष्य के विवेचन में अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं है। केवल इस कारण कि साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति से आया है जो पीड़ित से निकट संबंध रखता है, उसे अनदेखा या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस प्रकार कहा : (SCC पृष्ठ 213, कंडिका 23-24) : (AIR के कंडिका 21 एवं 22)

"23. हमारा विचार है कि जिन मामलों में न्यायालय को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना होता है, वहाँ ऐसे साक्ष्यों का विवेचन करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण अत्यधिक तकनीकी नहीं होना चाहिए। न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों के विवेचन या उसे स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए, किंतु उन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायालय का मुख्य प्रयास साक्ष्यों में सामंजस्य खोजने का होना चाहिए। किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर अनदेखा या अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह व्यक्ति पीड़ित का निकट नातेदार है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. *ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* AIR 2011 SC 280 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :

"21. केवल इस कारण कि साक्षी मृतकों के निकट नातेदार हैं, उनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी पक्ष से उनका संबंध होना साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बल्कि सामान्यतः कोई नातेदार वास्तविक अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं

लगाएगा। किसी पक्ष को झूठे फँसाए जाने के संबंध में ठोस तथ्यात्मक आधार स्थापित करना होता है और उसे निष्कलंक साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना होता है। तथापि, ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि वह ठोस एवं विश्वसनीय है या नहीं।

22.जहाँ घटना का कोई साक्षी स्वयं उस घटना में घायल हुआ हो, ऐसे साक्षी के साक्ष्य को सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह साक्षी घटना-स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और उसके लिए यह संभावना कम होती है कि वह अपने वास्तविक हमलावर/हमलावरों को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाए। किसी घायल साक्षी की गवाही को अविश्वसनीय ठहराने के लिए ठोस एवं प्रभावशाली साक्ष्य की आवश्यकता होती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. *वमन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य*, (2011) 7 SCC 295 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :

"17. *बालराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य*, (2010) 6 SCC 673 में इस न्यायालय ने यह कहा कि मात्र इस आधार पर कि साक्षी मृतक के नातेदार हैं, उनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे यह भी अभिनिर्धारित गया कि जब प्रत्यक्षदर्शियों को हितबद्ध अथवा अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण बताया जाता है, तब यह मान लेना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाकर निर्दोष व्यक्तियों को फँसा देंगे। साक्ष्य की सत्यता अथवा असत्यता का विवेचन व्यावहारिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को नातेदार एवं शत्रुतापूर्ण साक्षियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है।

"19. ….. 29. किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह अपराध के पीड़ित का नातेदार है। यदि साक्ष्य विश्वसनीय है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो संबंधियों के साक्ष्य के विरुद्ध उठाया गया तर्क निरर्थक हो जाता है। यदि झूठे फँसाए जाने का तर्क प्रस्तुत किया जाता है, तो बचाव पक्ष को उसका ठोस आधार प्रस्तुत करना होगा और न्यायालय को नातेदार साक्षियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर यह देखना होगा कि वह ठोस एवं विश्वसनीय है या नहीं। (*देखें : जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य,* (2009) 9 SCC 719; *विष्णु बनाम राजस्थान राज्य,* (2009) 10 SCC 477; तथा *बालराजे*, (2010) 6 SCC 673)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) ने अपने बयान में कहा कि वह 'आशा बैंड पार्टी' नाम से बैंड पार्टी का व्यवसाय संचालित करता था। आगे उसने कहा कि घटना के दिन लगभग शाम 6:45 बजे वह अपने घर पर था। उसी समय अपीलार्थी चंदू उर्फ चंद्रकुमार उसके घर आया और उसे अश्लील गालियाँ देने लगा। अपीलार्थी अपने साथ टंगिया लेकर आया था और उसने उसी से उस पर हमला किया। इस हमले में उसे उसकी कनपटी (टेम्पोरल क्षेत्र) पर चोट लगी। उसने शोर मचाया, जिसे सुनकर उसका साला दिनेश बैन (अ.सा.-2), उसकी पत्नी अंजुबाई तथा उसका एक मित्र दुबे वहाँ पहुँचे। तब अपीलार्थीवहाँ से भाग गया। उसने आगे बताया कि दिनेश बैन (अ.सा.-2) उसे जिला अस्पताल, दुर्ग ले गया। उसने यह भी कहा कि उसने थाना सुपेला में प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श.पी. -1) दर्ज कराई।

11. दिनेश बैन (अ.सा.-2) ने बयान दिया कि घटना के दिन लगभग शाम 7:00 बजे अपीलकर्ता, अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) के घर आया। अपीलार्थीने अज्जू उर्फ

अजय (अ.सा.-1) को गालियाँ देना शुरू किया और टंगिया से उस पर हमला किया। जब वह वहाँ पहुँचा, तो अपीलार्थी टंगिया छोड़कर वहाँ से भाग गया। उन्होंने आगे बयान दिया कि अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) के सिर पर चोट लगी थी और उससे खून बह रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह घटना स्थल पर नहीं पहुँचते, तो अपीलार्थीघायल व्यक्ति को मार डालता। उन्होंने आगे बताया कि वह घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) को पुलिस थाना सुपेला ले गए। इसके बाद वे घायल को जिला अस्पताल दुर्ग ले गए। उन्होंने यह भी बताया कि घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) को आगे के उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, सेक्टर-9, भिलाई रेफर किया गया।

12. उप-निरीक्षक जे.एन. राम (अ.सा.-6) ने बयान दिया कि दिनांक 15-05-2003 को अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) ने पुलिस थाना सुपेला में प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श.पी. -1) दर्ज कराई। उन्होंने अपराध क्रमांक 281/2003 दर्ज किया। उन्होंने आगे बयान दिया कि उन्होंने घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रदर्श.पी.-4 के माध्यम से जिला अस्पताल सुपेला भेजा। डॉ. जे.पी. मेश्राम (अ.सा.-3) ने बयान दिया कि उन्होंने अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) का परीक्षण किया और अपनी प्रतिवेदन(प्रदर्श.पी. -4A) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बाएं पार्श्विक (पैराइटल) क्षेत्र में 4×2 सेमी का हड्डी तक गहरा फटा हुआ(लैसरेटेड) घाव पाया। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने घायल को एक्स-रे कराने की सलाह दी। डॉ. जी.डी. अग्रवाल (अ.सा.-8) ने बयान दिया कि दिनांक 17-05-2003 को लगभग 12:15 बजे घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) को कैजुअल्टी वार्ड में भर्ती किया गया। उन्होंने आगे बताया कि सीटी स्कैन जांच के बाद बाईं टेम्पोरल हड्डी में अस्थिभंग पाया गया तथा मांसपेशी पर 8 सेमी का कट (घाव) मौजूद था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. घटना की दिनांक एवं समय 15-05-2003 को लगभग शाम 7:15 बजे का था और प्रथम सूचना प्रतिवेदन(प्रदर्श.पी. -1) उसी दिन लगभग 7:30 बजे, अर्थात् घटना के 15 मिनट के भीतर दर्ज की गई। इससे प्रतीत होता है कि एफआईआर (प्रदर्श.पी. -1) तुरंत दर्ज की गई थी और घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल दुर्ग भेजा गया था। एफआईआर (प्रदर्श.पी. -1) में उल्लेख है कि अपीलार्थीघायल के घर आया और उसने टंगिया से उस पर हमला किया, जिसके कारण घायल के बाएं टेम्पोरल (कनपटी) क्षेत्र में चोट आई।

14. मैंने घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) तथा दिनेश बैन (अ.सा.-2) के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि घटना के दिन अपीलार्थीघायल के घर आया और उसने टंगिया से उस पर हमला किया। उनके साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य तथा एफआईआर (प्रदर्श.पी. -1) से भी पुष्ट होते हैं। यह स्पष्ट है कि घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) तथा दिनेश बैन (अ.सा.-2) के बयान विश्वसनीय और ठोस हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अब यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय है?

16. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि डॉ. जे.पी. मेश्राम (अ.सा.-3) के बयान से स्पष्ट है कि घायल की चोट साधारण प्रकृति की थी और वह जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी। अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि घायल को लगी चोट जीवन के लिए घातक थी। अतः अपीलार्थी का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दंडनीय है।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं:

(क) हत्या करने से नातेदारआशय या ज्ञान और

(ख) उस आशय की पूर्ति की दिशा में कोई कृत्य किया जाना।

धारा 307 भा. दं. स. के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त का आशय या ज्ञान क्या था, न कि उसके द्वारा किए गए कृत्य का वास्तविक परिणाम क्या हुआ। यह धारा ऐसे कृत्य को समाहित करती है जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, किन्तु बीच में आई परिस्थितियों के कारण वह आशय पूरा न हो सका हो। आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या के अपराध को सिद्ध करने के लिए आवश्यक होता है। यदि धारा 307 भा. दं. स. के लिए आवश्यक आशय या ज्ञान का अभाव हो, तो हत्या के प्रयास का अपराध सिद्ध नहीं हो सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मध्य प्रदेश राज्य बनाम केदार यादव, (2011) 1 SCC (Cri) 1008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"12. इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो जो मृत्यु कारित करने में सक्षम हो। यद्यपि वास्तव में लगी चोट का स्वरूप अभियुक्त के आशय के संबंध में निष्कर्ष निकालने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है, तथापि ऐसा आशय अन्य परिस्थितियों से भी निष्कर्षित किया जा सकता है और कुछ मामलों में वास्तविक चोटों का संदर्भ लिए बिना भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच भेद करती है। ऐसा कृत्य हो सकता है जिसका कोई परिणाम न निकला हो जहाँ तक पीड़ित व्यक्ति का संबंध है, फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के अंतर्गत दायी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित को लगी चोट सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना होता है कि कृत्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, क्या

उस आशय या ज्ञान के साथ और धारा में वर्णित परिस्थितियों में किया गया था। किसी प्रयास को आपराधिक होने के लिए अंतिम चरण का कृत्य होना आवश्यक नहीं है। विधि के अनुसार यह पर्याप्त है कि आशय के साथ उसके निष्पादन हेतु कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया गया हो।

13.धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए यह पर्याप्त है कि आशय के साथ उसके निष्पादन में कोई प्रत्यक्ष कृत्य मौजूद हो। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो जो मृत्यु कारित करने में सक्षम हो। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम के बीच भेद करती है। न्यायालय को यह देखना होता है कि कृत्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, क्या उस आशय या ज्ञान के साथ और धारा में वर्णित परिस्थितियों में किया गया था। अतः धारा 307 भा. दं. स. के अंतर्गत अभियुक्त को केवल इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता कि पीड़ित को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान मामले में, अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि घटना के दिन अपीलार्थी उसके घर आया और टंगिया से उस पर हमला किया। दिनेश बैन (अ.सा.-2) के साक्ष्य भी अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) के बयान का समर्थन करते हैं। डॉ. जी.डी. अग्रवाल (अ.सा.-8) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि सीटी स्कैन जांच के बाद उन्होंने घायल अज्जू उर्फ अजय (अ.सा.-1) के बाएं टेम्पोरल क्षेत्र में अस्थिभंग पाया और उन्होंने राय दी कि यह चोट गंभीर प्रकृति की थी तथा जीवन के लिए घातक थी। अतः यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अपीलार्थी का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आता है।

20. उपरोक्त कारणों के आधार पर, मैं विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ तथा उनके द्वारा अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. परिणामस्वरूप, यह अपील निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Akash Diwan